

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:- श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्या:- 542/2020 (GCMS No. 2020/00566) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

- | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| 1. बनवारी | } | पुत्रान वेतालसिंह | } | जाति त्यागी निवासी मालौनी खुर्द |
| 2. रामअवतार | | | | |
| 3. रामनरेश | | | | |
| 4. भीमसैन | } | पुत्रान बंगाली | } | तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर |
| 5. बैजनाथ | | | | |
| 6. श्रीनिवास उर्फ पप्पू | | | | |

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंपऊ तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर

.....रैस्पोडैन्ट्स



अपील विरुद्ध निर्णय अति० जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक 11.03.2020 अपील संख्या 03/2019 बनवारी बगै. बनाम सरकार व सिलसिले आदेश तहसीलदार सैंपऊ दिनांक 09.01.2019 उनवानी सरकार बनाम बनवारी बगै. प्र.सं. 11/2019 वांके ग्राम मालौनी खुर्द तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर।

उपस्थिति:-

1. श्री दुलीचन्द शर्मा, वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक, वकील रैस्पोडैन्ट

निर्णय

दिनांक : 15.06.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 11.03.2020 एवं तहसीलदार सैंपऊ के आदेश दिनांक 09.01.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि विवादित आराजी ख.नं. 1116 के किसी भी हिस्से पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है पटवारी हल्का की रिपोर्ट गलत है। पटवारी ने ग्राम की पार्टीवंदी में लिप्त होकर झूठी रिपोर्ट हमारे विरुद्ध पेश की है जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा बिना


अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

मौके व वास्तविकता का पता लगाये आदेश दिया है। अपीलान्ट का निर्माण व कब्जा ग्राम की आबादी की भूमि पर है जो उनके पूर्वजों के समय से चले आ रहे हैं व उसका उपयोग उपभोग सैकड़ों वर्षों से गैतवाडे एवं रिहायश के रूप में करते आ रहे हैं। तहसीलदार द्वारा न तो अपीलान्ट्स को साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया और न ही पटवारी हल्का के बयान दर्ज किये गये। अपीलान्ट्स का कब्जा भू राजस्व अधिनियम 1956 के लागू होने से पूर्व का है। नियमानुसार भू राजस्व अधिनियम के लागू होने से पूर्व के कब्जे व निर्माण के विरुद्ध धारा 91 भू राजस्व की धारा 91 के तहत कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इस प्रकार हर दो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तथ्यों को गौर किये बिना आदेश पारित किये गये हैं। जिनके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस तलब किया व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी ख.नं. 1116 के किसी भी हिस्से पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट गलत है। पटवारी ने ग्राम की पार्टीवंदी में लिप्त होकर झूठी रिपोर्ट हगारे विरुद्ध पेश की है जिसके आधार पर तहसीलदार ने मौके पर जाकर वास्तविकता का पता लगाये बिना ही पटवारी की आधारहीन व झूठी रिपोर्ट पर विश्वास करके अवैधानिक आदेश दिया है। अपीलान्ट का निर्माण व कब्जा ग्राम की आबादी की भूमि पर है जो उनके पूर्वजों के समय से चले आ रहे हैं व उसका उपयोग उपभोग सैकड़ों वर्षों से गैतवाडे एवं रिहायश के रूप में करते आ रहे हैं। यह स्पष्ट नहीं किया है कि रास्ते की कितनी भूमि पर अपीलान्ट्स का अतिक्रमण है। भूमि की नाप-तोल कर अतिक्रमण स्पष्ट करना चाहिए था। अपीलान्ट्स के लिए करीब 30 वर्ष पूर्व ग्राग पंचायत मालौनी खुर्द द्वारा मौका निरीक्षण करके आबादी की भूमि पर सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुये दिनांक 25.11.1990 को निर्माण के लिए मंजूरी दी गई थी। इसी के आधार पर अपीलान्ट्स द्वारा नियमानुसार निर्माण कार्य किया गया। तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट्स को न तो साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया और न ही पटवारी हल्का के बयान दर्ज किये गये। अपीलान्ट्स का कब्जा भू राजस्व अधिनियम 1956 के लागू होने से पूर्व का है तथा अपीलान्ट्स अपने पूर्वजों के समय से ही ताहाल तक उस भूखण्ड का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। नियमानुसार भू राजस्व अधिनियम लागू होने से पूर्व के कब्जे व निर्माण के विरुद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। विवादित




आराजी ख.नं. 1116 वांके ग्राम मालीनी खुर्द करीब 7 बीघा 15 विस्वा का है तथा उस पर ग्राम के बहुत सारे लोगों के पक्के मकान बने हुये हैं। पटवार घर भी इसी में बना हुआ है लेकिन फिर भी स्थानीय राजनीति से प्रभावित होकर वेदखली कार्यवाही की गई है। न्यायालय द्वारा इस विन्दु पर गौर नहीं किया गया कि आमजन के लिए पक्का डागर रोड अपीलान्ट के भूखण्ड के पास होकर जा रहा है। इसके अलावा पक्की सडक और अपीलान्ट्स के भूखण्ड के मध्य ग्राम पंचायत का करीब 30 से लेकर 100 फीट चौड़ाई तक का रास्ता अलग से मौके पर मौजूद हैं। अपीलान्टान के भूखण्ड या अपीलान्ट्स की वजह से रास्ते पर कोई अवरोध नहीं है। गैर मुमकिन रास्ता ग्राम पंचायत का है। आराजी ख.नं. 1116 सम्पूर्ण रूप से आबादी के काम आ रहा है। अपीलान्टान का कब्जा करीब 80-90 साल पुराना भू राजस्व अधि. 1956 के लागू होने से पूर्व का है व ग्राम पंचायत की वैधानिक मंजूरी प्राप्त होने के बाद निर्माण कार्य किया है। प्रार्थी इसको पशु बांधने और रहवाश के काम में लेते हैं। यदि इसको तोड़ दिया गया तो अपीलान्टान अपने पशुओं के सहित रोड पर आ जायेंगे व जीना दुश्कर हो जावेगा। ग्राम पंचायत क्षेत्र के भूखण्ड पर कार्यवाही का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत का है तहसीलदार को कोई कार्यवाही करने का कनूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। ग्राम पंचायत को कार्यवाही की जानी चाहिए थी। कोरोना महामारी के कारण मार्च 2020 से हुए लॉकडाउन से आवागमन व न्यायिक कार्य बंद रहा है। न्यायालय 24.08.2020 को प्रारंभ हुये हैं इसलिए कोरोना काल को कण्डोन करते हुये गियाद अन्दर अपील पेश की है। अतः अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर के निर्णय दिनांक 11.03.2020 व तहसीलदार सैपड़ के निर्णय दिनांक 09.01.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

3. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किये गये हैं। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। हर दो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किये गये हैं, जो विधिसम्मत है, जो किसी भी प्रकार से अवैधानिक नहीं है। ऐसी स्थिति में हर दो अधीनस्थ न्यायालयों ने जो निर्णय पारित किये है, वह सही हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।
5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी ख.नं.1116 की किस्म राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज है जो कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिरापर अपीलान्ट द्वारा कब्जे के आशय से निर्माण किया गया



अतिरिक्त संधागीय आयुक्त
भरतपुर





है। जहाँ तक अपीलान्त का विवादित आराजी पर ग्राम पंचायत मालौनी खुर्द से विधिवत भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण कार्य किये जाने का संबंध है तो इस बावत् तहसीलदार सैंपऊ द्वारा ग्राम पंचायत से जानकारी चाही गई थी, जिसपर ग्राम पंचायत मालौनी खुर्द ने अपने पत्र दिनांक 23.01.2019 के द्वारा यह तथ्य अवगत कराया है कि रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्माण मंजूरी की जाँच किया जाना संभव नहीं है। निर्माण स्वीकृति के उक्त उल्लिखित पत्र दिनांक 25.11.1990 में भी कोई खसरा संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। पत्र की केवल एक अप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की है। वैसे भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ते की भूमि पर ग्राम पंचायत को भवन निर्माण स्वीकृति जारी करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अपीलान्त द्वारा अपने कथनों के संबंध में ऐसा कोई विधिक दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह स्पष्ट होता हो कि वे विवादित भूमि पर किसी प्रकार का विधिक स्वामित्व रखते हैं। विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ते की भूमि होने के कारण अपीलान्त किसी प्रकार के अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। तदनुसार अपील अपीलान्त खारिज किये जाने योग्य है।

6. अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। तथा अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक 11.03.2020 एवं आदेश तहसीलदार सैंपऊ दिनांक 09.01.2019 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।
7. निर्णय आज दिनांक 15.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर